

30/5/23

वारी अधिवक्ता के प्राथनापत्र
अन्तर्गत 023 R 1 व 2 ए.पी.सी.
काड विज्ञो कुरेन वाकल पर
पत्रावली वेड है । प्राथनापत्र
023 R 1 व 2 पर कलस रूनीगडि

वारी अधिवक्ता का प्राथनापत्र
एकीकृत किया जाता है वारी
अधिवक्ता को वारी के वादपत्र
अन्तर्गत द्वारा 88, 89, 92A का
विज्ञो कुरेन की अनुमति दी जाती है
पत्रावली फौजदारी के अन्तर्गत
दाला है नकल से कल है ।